टेस्ट हेडर

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण मौजूदा अवधि और एक वर्ष के दौरान सामान्य आर्थिक स्थितियों और अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में प्रत्यर्थियों के अवधारणाओं का आकलन प्रदान करता है. सर्वेक्षण में तीन बिंदु स्केल पर गुणात्मक जानकारी शामिल है, अर्थात, सुधार, समान या बिगड़ती हुई, उत्तरदाताओं से छह महानगरों में फैले हैं, जैसे. बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली. इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी का विश्लेषण दो भागों में किया जाता है, जैसे कि एक वर्ष पहले की तुलना में वर्तमान स्थिति और एक वर्ष आगे की उम्मीदों के अनुसार. नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में, क्षेत्र कार्य 23 फरवरी, 2016 और मार्च 06, 2016 के बीच किया गया था. (i) सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष, लगभग 5,200 प्रत्यर्थियों के प्रतिक्रियाओं के आधार पर नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं.

सेबी दिशानिर्देश (सेबी) (rbi) (ईसीएस)

मुख्य-मुख्य बातें:

I. वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) और भविष्य की अपेक्षाएं सूचकांक (एफईआई) दिसंबर 2015 के दौर की तुलना में सर्वेक्षण के वर्तमान दौर में 1.2 और 2.2 प्रतिशत तक सीमित रूप से विस्तारित हुए. सूचकांकों में मार्जिनल सुधार अधिकतर आर्थिक स्थितियों, आय और कीमतों पर सकारात्मक (ii) धारणाओं में वृद्धि के कारण थे.

अधिकृत डीलर कैटेगरी - I (एडी कैटेगरी - I) बैंकों को आमंत्रित किया गया है ए. पी. (डीआईआर सीरीज) सर्कुलर नं.19 दिनांक 24 जनवरी 2002, ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 63 दिनांक 21 दिसंबर 2002, ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र नं. 26 दिनांक 1 नवंबर, 2004, ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22 दिनांक 13 दिसंबर 2006और A. P. (DIR सीरीज) परिपत्र नं. 52 दिनांक 8 मई, 2007, जिसके संदर्भ में भारत में निवासी व्यक्तियों को अंतर्निहित जोखिमों के आधार पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा, निर्यातकों और आयातकों को भी एक्सपोजर की घोषणा के आधार पर और पूर्व के प्रदर्शनों के आधार पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने की अनुमति दी गई है, जो निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है.

2. जैसा कि वर्ष 2007-08 (पारस 142 और 143) के वार्षिक नीति स्टेटमेंट में घोषित किया गया है, जिसके तहत लघु और मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्र और निवासी व्यक्तियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी संस्थाओं को गतिशील आधार पर अपने विदेशी मुद्रा के जोखिम को रोकने के लिए कार्यक्षेत्र और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेंज को उदारीकृत किया जाए. इसके अनुसार, उपयोगकर्ताओं के विचारों/कमेंट के लिए वेबसाइट पर 1 जून, 2007 को एक ड्राफ्ट सर्कुलर रखा गया था. इसके बाद फेडाई और बैंकों के साथ चर्चाएं भी हुईं. अब बैंकों, फेडाई, उपयोगकर्ता समूह आदि से प्राप्त फीडबैक के प्रकाश में दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है.

स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs) (पारा 142)

3. छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को सक्षम करने के लिए, जिनके पास विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र है, अपने एक्सपोजर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वे ऐसी संस्थाओं को निम्न शर्तों के अधीन, पूर्ववर्ती संविदाओं को बुक करने/रद्द करने/पुनर्नबुक करने/रोल करने की अनुमति देने के लिए विज्ञापन श्रेणी I बैंकों को अनुमति दें:

(i) ऐसे संविदाओं को यह सुनिश्चित करने के बाद बुक करने की अनुमति दी जा सकती है कि संस्था भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण योजना और ऋण विभाग द्वारा परिभाषित एसएमई के रूप में पात्र है, जो 4 अप्रैल, 2007 के परिपत्र आरपीसीडी.पीएलएनएस. बीसी.नं.63/06.02.31/2006-07 द्वारा निर्धारित है.

(ii) ऐसे संविदाओं को अनुच्छेद श्रेणी 1 बैंकों के माध्यम से बुक किया जा सकता है, जिनके साथ एसएमई क्रेडिट सुविधाएं और/या बैंकिंग संबंध बुक किए गए कुल अग्रिम संविदाएं उनके विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं या उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या पूंजी व्यय के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण सुविधाओं के अनुरुप होनी चाहिए.

(iii) डीबीओडी.नं.बी.के.के.बी.के.बी.सी.86/21.04.157/2006-07 डीटी.एप्रिल 20, 2007के तहत एसएमई ग्राहकों को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के "*यूज़र उपयुक्तता*" और"*सुच्यता*"के बारे में समुचित परिश्रम करना चाहिए. [3,8].

(iv) इस सुविधा का लाभ उठाते हुए एसएमई को पहले से ही बुक किए गए अग्रगामी अनुबंधों की मात्रा के संबंध में विज्ञापन श्रेणी 1 बैंक को घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए, यदि इस सुविधा के अंतर्गत अन्य अनुच्छेद श्रेणी 1 बैंक के साथ कोई भी हो.

4. SME को अपने एक्सपोजर को हेज करने के लिए विदेशी मुद्रा रुपये विकल्पों का उपयोग करने की अनुमति है.

निवासी व्यक्ति (पारा 143)

5. निवासी व्यक्तियों को वास्तविक या अपेक्षित रेमिटेंस से उत्पन्न होने वाले अपने विदेशी एक्सचेंज एक्सपोजर को इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों के कारण मैनेज/हेज करने में सक्षम बनाने के लिए, यह तय किया गया है कि वे स्वयं घोषणा के आधार पर 100,000, USD तक के अंतर्निहित दस्तावेज़ के उत्पादन के बिना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने की अनुमति दें. इस सुविधा के तहत बुक किए गए कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर डिलीवर करने योग्य आधार पर होंगे. हालांकि, कैश फ्लो या अन्य आवश्यकताओं में मेल न होने पर, इस सुविधा के तहत बुक किए गए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल और दोबारा बुक करने की अनुमति दी जा सकती है. बकाया कॉन्ट्रैक्ट की कल्पित वैल्यू किसी भी समय USD 100,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट को केवल एक वर्ष की अवधि तक बुक करने की अनुमति दी जा सकती है.

6. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐड कैटेगरी I बैंकों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं, जिनके साथ निवासी व्यक्ति के पास बैंकिंग संबंध हैं, इस फॉर्मेट में दिए गए एप्लीकेशन-कम-डिक्लेरेशन के आधार परएनेक्स I. आरईडी आई बैंकों की श्रेणी में अपने आप को संतुष्ट करना चाहिए कि निवासी व्यक्तियों को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने में अंतर्निहित जोखिम की प्रकृति को समझना चाहिए और ऐसे ग्राहक को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के "*यूज़र उपयुक्तता*" और "*उच्चता*" के संबंध में उचित परिश्रम करना चाहिए.

7. आरईडी (आई) श्रेणी के बैंकों को एक तिमाही रिपोर्ट भारत के मुख्य महाप्रबंधक को, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई-400 001 को अगले महीने के पहले सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी, जो दिए गए प्रारूप के अनुसार हैएनेक्स II.

8. दिनांक 3 के अधिसूचना सं. 25/2000-आरबी में आवश्यक संशोधनआरडीमई 2000 [विदेशी एक्सचेंज मैनेजमेंट (विदेशी एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट) रेगुलेशन, 2000 अलग से जारी किए जा रहे हैं.

9. सीआईडी श्रेणी के बैंक इस परिपत्र के विषय को उनके घटकों और संबंधित ग्राहकों के नोटिस में ला सकते हैं.

10. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमतियां/प्रमाणीकरणों, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं.

चेयरमैन/मैनेजिंग निदेशक/चेफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर
अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और प्रतिभागियों (बैंक और नॉन-बैंक)

डॉ. पात्रा, उप गवर्नर के पद पर पहुंचने से पहले रिज़र्व बैंक के कार्यकारी निदेशक थे.

डेप्यूटी गवर्नर के रूप में, डॉ. पात्रा पूर्वानुमान और मॉडलिंग यूनिट (एमपीडी/एमयू), वित्तीय बाज़ार ऑपरेशन डिपार्टमेंट (एफएमओडी), वित्तीय बाज़ार रेगुलेशन डिपार्टमेंट सहित मार्केट इंटेलिजेंस (एफएमआरडी/एमआई), इंटरनेशनल डिपार्टमेंट (आईएनटीएल) सहित मौद्रिक नीति विभाग की देखभाल करेंगे. D), आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डेटा और सूचना प्रबंधन इकाई सहित) (डीएसआईएम/डीआईएमयू), कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) और वित्तीय स्थिरता इकाई.

डॉ. पात्रा, 1985 से एक करियर सेंट्रल बैंकर, ने भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है. एग्जीक्यूटिव निदेशक के रूप में, वे भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य थे, जिसे भारत में मौद्रिक नीति निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे एमपीसी के पदेन सदस्य के रूप में डिप्टी गवर्नर बने रहेंगे.

इससे पहले, वे जुलाई 2012 से अक्टूबर 2014 के बीच मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख सलाहकार थे. उन्होंने दिसंबर 2008 से जून 2012 के दौरान एग्जीक्यूटिव निदेशक (भारत) के सीनियर एडवाइज़र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि में काम किया है, जब वे वैश्विक वित्तीय संकट और मौजूदा यूरो क्षेत्र संप्रभुता ऋण संकट की अवधि के दौरान आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के काम में सक्रिय रूप से जुड़े थे. उनकी पुस्तक "भारतीय लुकिंग ग्लास के माध्यम से वैश्विक आर्थिक संकट" इस अनुभव को स्पष्ट रूप से कैद करती है. उन्होंने मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त के क्षेत्रों में भी कागजात प्रकाशित किए हैं, जिसमें विनिमय दरें और भुगतान बैलेंस शामिल हैं. हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक फेलो जहां उन्होंने वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र में पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च की, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे से अर्थशास्त्र में पीएचडी है.

केंद्र सरकार ने 15 जनवरी, 2023 से या आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए डॉ. माइकल देबब्रत पत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है.

डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा समर्थित बाहरी अनुसंधान गतिविधियां

विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) का गठन नवंबर 1991 में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद 'बैंक') में किया गया था, जिसका उद्देश्य तेज़ और प्रभावी नीति-आधारित अनुसंधान करना था, जिसके समर्थन में मजबूत विश्लेषणात्मक और अनुभवपूर्ण फॉर्मूलेशन, वर्तमान हित के विषयों पर था. डीआरजी के माध्यम से, बैंक व्यक्तिगत शोधकर्ताओं/अनुभवियों और विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों को आर्थिक, बैंकिंग, वित्त और अन्य हित विषयों में सैद्धांतिक और मात्रात्मक अनुसंधान और शिक्षण/प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. बैंक निम्नलिखित अनुसंधान गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

रिज़र्व बैंक ने भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में rbi प्रोफेसरियल चेयरों की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य बैंक के कार्य से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है. इस स्कीम के तहत, बैंक कानूनी रूप से लागू करने योग्य कॉन्ट्रैक्ट के साथ संबंधित विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान में कॉर्पस निधि स्थापित करता है. rbi चेयरों की स्थापना के लिए संबंधित संस्थानों के साथ बैंक द्वारा हस्ताक्षरित संविदा, संस्थानों/चेयर प्रोफेसरों को उनके दैनिक कार्य में स्वायत्तता प्रदान करता है. संबंधित संस्थान को कॉर्पस निधि के लिए एक अलग खाता बनाए रखना होगा, और, कॉन्ट्रैक्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसके द्वारा मैनेज की गई कॉर्पस निधि के तहत राशि इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट समिति बनाना होगा. कॉर्पस निधि से होने वाली ब्याज आय का उपयोग अनुसंधान और शिक्षण गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, न कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए. संबंधित संस्थान को कॉर्पस निधि की आय और खर्च का विवरण देते हुए ऑडिट किए गए 'यूटलाइजेशन सर्टिफिकेट' सबमिट करना होगा. rbi प्रोफेसरल चेयर को मंजूरी देने के लिए विस्तृत मानदंड

9. प्रमुख कीमत सूचकांक							
मद(स्पीच_टेस्ट)	2022		2023		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	मई	जून.	मई	जून.	पिछले महीने से अधिक	मार्च से अधिक	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	171.7	172.6	179.1	180.9	1.0	2.1	4.8
1.1 ग्रामीण	172.5	173.6	179.8	181.8	1.1	2.1	4.7
1.2 शहरी	170.8	171.4	178.2	179.9	1.0	2.0	5.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	129.0	129.2	134.7	136.4	1.3	2.3	5.6
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	155.0	155.4	149.6	149.0	-0.4	-1.3	-4.1
3.1 प्राथमिक आर्टिकल	178.5	181.5	175.3	176.3	0.6	0.6	-2.9
3.2 ईंधन और शक्ति	163.6	167.1	148.6	146.0	-1.7	-6.6	-12.6
3.3 निर्मित उत्पाद	145.0	143.9	140.7	140.0	-0.5	-0.9	-2.7

टेस्ट फुटर_Correction case for testing